कोर कार्यक्रमों वर्ष 2019-20 के लिए सामान्य अनुदेश

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के सभी जिला और राज्य .कार्यालयों को सुनिश्चित करना चाहिए कि :

1. जिला एवं राज्य नेयुकेसं, एनएसएस, एनसीसी, बीएसजी, एचएसजी, ईको क्लब, रेडक्रास सोसायटी के साथ विभिन्न कार्यक्रमों, कार्यकलापों और अन्य प्रचालन क्षेत्रों में प्रभावी अभिसारण, स्फूर्ति स्थापित करेगी। इस संबंध में कार्य योजना में नेयुकेसं एवं उपरोक्त युवा संगठनों के बीच प्रत्येक कार्यक्रम के लिए अभिसारण/तालमेल का निर्धारण किया गया है। नेयुकेसं के कोर कार्यक्रमों और समन्वय गतिविधियों में सहभागिता के स्तर को मासिक प्रगति रिपोर्ट में समन्वय एजेंसी के कॉलम में दर्शाया जायेगा।

2. युवाओं के सशक्तीकरण और विकास के लिए विकासात्मक मंत्रालयों, विभागों, एजेंसियों के साथ परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सम्पर्क स्थापित किये जायें, जिसमें **सामाजिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण कार्यक्रम, न्यू इंडिया संकल्पना के लिए संकल्प से सिद्धि, स्वच्छ भारत अभियान गतिविधि, जल संरक्षण, स्वच्छता और रखरखाव के लिए सामाजिक परिसंपत्तियों को अपनाना, आपदा प्रबंधन, बाजार क्षमता के साथ रोजगारपरक कौशल विकास प्रशिक्षण और स्वरोजगार पर ध्यान केन्द्रित किया जाये।**

3. उत्कृष्ट युवा मण्डल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत जिन युवा मंडल को विगत दो वर्षों में पुरस्कार दिया जा चुका है वे इस वर्ष आवेदन के पात्र नहीं होंगे।

4. जिला नेहरू युवा केन्द्र से सम्बद्ध युवा मंडल ही उत्कृष्ट युवा मंडल पुरस्कार योजना के अन्तर्गत आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदक युवा मंडल की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनिवार्य होगी।

5. जिला और राज्य स्तरों पर उत्कृष्ट युवा मंडल का चयन और पुरस्कृत करने के लिए **समय सीमा का पालन सख्ती के साथ किया** जाना चाहिए। राज्य निदेशक को सुनिश्चित करना चाहिए कि पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन केवल नामित चयन समिति द्वारा ही किया जाता है।

6. जिला नेहरू युवा केन्द्रों को वार्षिक कार्य योजना की प्रतियां ने.यु.के.सं., मुख्यालय प्रेषित नहीं करनी चाहिए। राज्य निदेशक द्वारा राज्य स्तर पर वार्षिक कार्य योजना राज्यवार संकलित कर ने.यु.के.सं., मुख्यालय में प्रस्तुत की जाएंगी।

7. राज्य निदेशकों द्वारा वार्षिक कार्य योजना के निर्धारित भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धियों की समीक्षा नियमित रूप से की जाएगी।

8. राज्य निदेशकों द्वारा अत्यधिक सतर्कता बरती जानी चाहिए कि :

- कुल आवंटित बजट की 90 प्रतिशत राशि और संगत कार्यक्रम 31 दिसम्बर, 2019 तक पूरे किए जाने चाहिए। तथापि, यह प्रत्येक राज्य/केन्द्र को जारी बजट की मात्रा पर निर्भर करेगा और तदनुरूप त्रैमासिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए तथा संबंधित जिला/राज्य निदेशक द्वारा हासिल किए जाने चाहिए।

- केवल अपवाद स्थितियों में ही अंतिम तिमाही में 10 प्रतिशत से अधिक बजट का उपयोग किया जा सकता है, जो वेतन एवं लेखा कार्यालय राज्य अथवा ने.यु.के.सं .मुख्यालय द्वारा आवंटित बजट जारी करने में विलम्ब के कारण हो सकता है।

9. दिशानिर्देशों के अनुसार, महात्मा गांधीजी की 150वीं जयंती का आयोजन किया जाना चाहिए। पूरे वर्ष में अधिक से अधिक संख्या में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए स्वच्छता एवं श्रमदान कार्यक्रम किया जाना चाहिए। दिशा-निर्देश और समय सीमा के अनुसार स्वच्छता पखवाड़ा और कार्य शिविर का आयोजन किया जाना चाहिए।

10. स्वच्छ भारत ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम)एसबीएसआई (2.0 और जल शक्ति अभियान को पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से शुरु किया गया है। युवाओं की अधिकतम संख्या/युवाओं)एक टीम में अधिकतम 10 सदस्य (को 50 घंटे करने के लिए स्वच्छता इंटर्न के रुप में खुद को पंजीकृत करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। अपने-अपने गांवों/स्थानों में स्वच्छता गतिविधियां। पिछले वर्ष की तरह, दिशानिर्देश और समय-सीमा के अनुसार पुरस्कारों का चयन किया जाना चाहिए।

11. आगे, यह नोट करें कि जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, कुल जारी कार्यक्रम बजट में:

- प्रत्येक कार्यक्रम के तहत, कुल प्रतिभागियों/लाभार्थियों का 30 प्रतिशत महिलाएं समाज के होनी चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि 30 प्रतिशत बजट युवा महिलाओं पर खर्च किया गया है।

- इसी प्रकार कुल प्रतिभागियों/लाभार्थियों का 20 प्रतिशत **एससी/एसटी** होने चाहिए ताकि यह दर्शाया जा सके कि 20 प्रतिशत बजट एससी/एसटी युवाओं पर खर्च किया गया है।

- उचित सावधानी बरती जानी चाहिए कि कार्यक्रम बजट के प्रतिभागियों/लाभार्थियों का शेष 50 प्रतिशत अल्पसंख्यक, ओबीसी तथा सामान्य पर खर्च किया गया है।

- उपरोक्त वर्णित श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

- जिला स्तर के कार्यक्रमों में सभी ब्लॉकों से विभिन्न वर्गों के युवाओं को अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।

12. बुनियादी कार्यक्रम और उसकी निधि को किसी अन्य गतिविधि या कार्यक्रम की ओर **नहीं मोड़ा जाना चाहिए**, चूंकि वे प्रतिबद्ध कार्यक्रम घटक होते हैं।

13. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कुल कार्यक्रमों की कुल संख्या में से कम से कम **दो कार्यक्रम महिलाओं के लिए** विशेष रुप से आयोजित किए जाएंगे।

14. उप निदेशक और युवा समन्वयक ब्लॉकों अथवा ग्राम समूहों का चयन इस प्रकार करें कि जिले में युवा मंडलों के बीच कार्यक्रमों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। ये पिछले वर्ष में चुने गए जैसे हो या नहीं हो सकते हैं।

15. खेल सामग्री को इस तरह से वितरित किया जाना चाहिए कि सभी नेयुके युवा मंडलों को 4-5 साल के अंतराल के बाद खेल सामग्री मिल सके।

16. विषय की दृष्टि से, वर्ष के सभी कार्यक्रम और गतिविधियां **एक नेमी कवायद की बजाय** एक मिशन होनी चाहिए।

17. कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जाने चाहिए कि उनमें अधिक से अधिक संख्या में युवा मंडल भाग ले सकें।

18. कार्यक्रमों में युवा मंडलों से **एक ही युवा एवं युवा मंडलों को बार-बार भाग लेने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए** जब तक कि उस कार्यक्रम विशिष्ट में रूप से युवा मंडल के अध्यक्ष/सचिव या अन्य पदाधिकारी की अपेक्षा नहीं करता है।

19. उपलब्धियां **मासिक प्रगति रिपोर्ट** और विशिष्ट रूप से तैयार की गई **संचयी प्रगति रिपोर्ट में,** निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के आधार पर, दर्शाई जानी चाहिए आयोजित गतिविधियों की कुल संख्या/आज की तिथि तक उपलब्धियां अर्थात पिछले महीनों तथा चालू माह की गतिविधियां का योग। उन्हें निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया जाना चाहिए :

- जिला ने.यु.के .से मंडल कार्यालय - प्रत्येक माह की 27 तारीख
- राज्य कार्यालय से ने.यु.के.सं .मुख्यालय -प्रत्येक माह की 29 तारीख

20. जिला युवा समन्वयक/उप निदेशक तथा राज्य निदेशक बुनियादी कार्यक्रम तथा समन्वयक गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह निम्न प्रारूपों में भेजेंगे :

कोर कार्यक्रमों एवं समन्वय गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट

स्तर	**बुनियादी कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट**	**अनुलग्नक**
जिला ने.यु.के.	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक-7
जिला ने.यु.के.	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -7-ए
राज्य कार्यालय	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -8
राज्य कार्यालय	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -8-ए

स्तर	**समन्वय गतिविधियों की प्रगति रिपोर्ट**	**अनुलग्नक**
एनवाईवी स्वयंसेवक	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक-9
जिला ने.यु.के.	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9-ए
जिला ने.यु.के.	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9-बी
राज्य कार्यालय	मासिक प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9-सी
राज्य कार्यालय	संचयी प्रगति रिपोर्ट	अनुलग्नक -9-डी

- राज्य निदेशक को जिला ने.यु.के .से प्राप्त भौतिक लक्ष्य की मिलान जांच वार्षिक कार्य योजना के अनुसार उस राज्य हेतु निर्धारित लक्ष्यों के साथ करनी चाहिए।

21. राज्य कार्यालयों को संकलित एमपीआर (मासिक एवं संचयी/प्रगतिशील प्रगति रिपोर्ट (निर्धारित प्रारूपों में मुख्यालय को श्री एम.पी .शर्मा, सहायक निदेशक (कार्यक्रम (के नाम में, डाक तथा ई-मेल regularprogramme@gmail.com अथवा mpsharmanyks@yahoo.co.inपर दोनों प्रकार से प्रेषित करनी चाहिए।

22. राज्य निदेशकों को ऐसे जिला ने.यु.के .की सूची भी प्रस्तुत करनी चाहिए जिनके द्वारा एमपीआर राज्य स्तर की एमपीआर के साथ ने.यु.के.सं मुख्यालय को प्रस्तुत नहीं की गई है तथा चूककर्ता केन्द्रों के विरुद्ध महानिदेशक को सूचित करते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए। जिला ने.यु.के .को रिपोर्ट सीधे मुख्यालय नहीं भेजनी चाहिए।

23. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, सांसद, मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति के सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य, मेयर, पार्षद और विकास विभागों तथा एजेसिंयों के प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए।

24. कार्यक्रमों का नियमित अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन (मात्रात्मक तथा गुणात्मक (तत्संबंधी अनुवर्ती कार्यवाही सहित किया जाना चाहिए।

25. अन्य **एजेन्सियों से जुटाई गई निधियां समन्वय कार्यक्रम के तहत एमपीआर 'स में स्पष्ट रूप से दर्शाई** जानी चाहिए।

26. सभी युवा मंडलों को अपनी वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिसमें उन कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया जाना चाहिए, जो अपने स्वयं के संसाधनों से आयोजित किए जा सकते हैं। युवा मंडल को अपने क्षेत्रों में युवा ग्रामीणों तथा ग्राम समुदायों के हितार्थ कार्यक्रमों के नियमित आधार पर आयोजन का जिम्मा लेना चाहिए। इस कार्य को एनवाईवी स्वयंसेवकों की सहायता से पूरा किया जाना चाहिए।

27. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित गतिविधियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए :

ए - .समाज के सामाजिक रूप से वंचित और उपेक्षित युवा वर्गों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए युवा मंडलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

बी- .समाज के सभी सामाजिक रूप से वंचित वर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं, शारीरिक दिव्यांगता इत्यादि (की सदस्यता हेतु विशेष अभियान एक मिशन के तौर पर चलाया जाना चाहिए।

सी -.नए युवा मंडलों का गठन नियमित रूप से किया जाना चाहिए। जिला ने.यु.के .के साथ नई संबद्धता के लिए, आवेदक युवा मंडल को ने.यु.के.सं वेबसाइट पर वर्णित ऑनलाइन संबद्धता प्रक्रिया का विकल्प चुनने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

डी -.**यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा** कि ऑफलाइन संबद्ध युवा मंडल/महिला मंडलों का विवरण और प्रोफाइल संशोधित प्रोफार्मा भरवाकर अद्यतन की जानी चाहिए। यह **अनुलग्नक-6** में दिया गया है। उसकी एक प्रति

जिला ने.यु.के .कार्यालय अभिलेख में रखी जानी चाहिए। इस प्रकार प्राप्त संशोधित युवा मंडल/महिला मंडल प्रोफाइल तथा विवरण ने.यु.के.सं की वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधा के जरिये ऑनलाइन अद्यतन की जानी चाहिए।

ई -.युवा मंडलों एवं महिला मंडलों तथा उनके सदस्यों की प्रोफाइल समय समय पर ऑनलाइन अद्यतन की जानी चाहिए।
एफ -.युवा मंडलों एवं महिला मंडलों के सदस्यों को ग्राम और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय कार्यक्रमों द्वारा समुदाय प्रासंगिक संदेश फैलाने एवं राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय महत्व के दिवसों के आयोजन हेतु सुसाध्यकारकों और समकक्ष शिक्षकों के रूप में निखारा जाना चाहिए।

जी -.राज्य निदेशकों तथा जिला युवा समन्वयकों को पंचायत भवन एवं समुदाय भवनों में बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए पंचायती राज विभागों अथवा संस्थानां के प्रमुखों और ग्राम प्रधानों के पास जाना चाहिए तथा पंचायत विकास कार्यक्रमों एवं गतिविधियों में ने.यु.के .के संबद्ध युवा मंडलां एवं महिला मंडलों का सक्रिय सहयोग मांगना चाहिए।

एच .शिक्षा विभाग के प्रमुखों तथा स्थानीय स्कूलों के प्रधानाचार्यों से भी स्कूल भवन में पढ़ाई के समय के बाद, अवकाश के दिनों में और छुट्टियों में बैठकें तथा कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए।

आई -.स्वास्थ्य तथा आईसीडीएस विभागों के प्रमुखों, आशा, आंगनवाड़ी तथा एएनएम कार्यकर्ताओं को ने.यु.के . ग्राम युवा मंडलां एवं महिला मंडलों तथा परामर्शदाता युवा मंडल/महिला मंडलों के साथ समन्वय में स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, बाल देखभाल, पोषण तथा संतुलित आहार किशोर लड़कियों के लिए फोलिक एसिड उपलब्ध कराने संबंधी गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु अनुरोध किया जाना चाहिए।

28. प्रत्येक बुनियादी कार्यक्रम पूरा करने के बाद, केन्द्र उस कार्यक्रम का अभिलेख उस हेतु खोली गई संचिका में अनुरक्षित करना सुनिश्चित करेगा। उदाहरण के लिए, ''जिला युवा सम्मेलन की संचिका में उस वर्ष जिले में संचालित जिला युवा सम्मेलन में अभिलेख रखा जाएगा। अभिलेख के अनुरक्षण में निम्नलिखित शामिल होगा :

(i) युवा मंडल)जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाना है (की बैठक का संक्षिप्त विवरण, जिसमें जिला युवा समन्वयक ने कार्यक्रम के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया तथा कार्यक्रम के आयोजन हेतु उप समितियों का गठन किया।

(ii) युवा मंडलों को प्रेषित परिपत्र/पत्र की प्रति जिसमें सदस्यों को कार्यक्रम के आयोजन तथा उसमें भाग लेने की सूचना दी गई है।

(iii) कार्यक्रम की अनुसूची जिसमें सत्र/स्थान तथा संभार व्यवस्थाएं दर्शाई गई हैं।

(iv) प्रतिदर्श मुद्रित कार्यक्रम परिपत्र की प्रति।

)v (प्रतिभागियों की सूची, पता, फोन नम्बर, ई-मेल, मोबाईल नं., ब्लड ग्रुप इत्यादि सहित, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए।

) vi (प्रतिभागियों की उपस्थिति, प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा हस्ताक्षरित।

) vii (कार्यक्रम की विस्तृत वर्णनात्मक रिपोर्ट तथा वास्तविक तिथि जब आयोजित किया गया। परिवर्तन, यदि कोई हो, के कारण भी दर्ज किए जाने चाहिए।

) viii (कार्यक्रमों की मूल्यांकन रिपोर्ट।

) ix (कार्यक्रमों की प्रेस कवरेज, कतरनें तथा फोटोग्राफ्स।

) x (केन्द्र और ने.यु.के.सं के उच्चतर अधिकारियों, जिला प्रशासन, अन्य सरकारी/गैर-सरकारी विभागों, एजेन्सियां, युवा मंडलों इत्यादि के बीच पत्राचार/पत्र/परिपत्रों की प्रतियां।

29.) xi (आमंत्रित प्रतिष्ठित व्यक्तियों) माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगण, सांसद, मानव संसाधन विकास पर संसदीय स्थाई समिति के सदस्य, विधायक, विधान परिषद सदस्य, मेयर, पार्षद और विकास विभागों तथा एजेसिंयों के प्रमुख के बीच पत्राचार/पत्रों की प्रतियां।

30. राज्य निदेशक को हर बार दौरे पर इन संचिकाओं की जांच/निरीक्षण करना चाहिए तथा अपनी टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए। लक्ष्यातीत उपलब्धियां/कमियों की ओर संकेत किया जाना चाहिए तथा अगले उच्चतर प्राधिकारी को सूचना दी जानी चाहिए।